270

संख्या–1894/XIX–1/15–87/2007

**प्रेषक,**

**चन्द्रेश कुमार,**
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

**सेवा में,**

**आयुक्त,**
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1** देहरादून दिनांक 22 जनवरी, 2015

**विषयः– मसूरी बाईपास मार्ग स्थित खाद्यायुक्त कार्यालय भवन एवं खाद्य सुरक्षा आयोग भवन परिसर की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, संयुक्त आयुक्त, खाद्यायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–952/आ0खा0/1021/2014, दिनांक–30.10.2014, के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, मसूरी बाईपास मार्ग स्थित खाद्यायुक्त कार्यालय भवन एवं खाद्य सुरक्षा आयोग भवन परिसर की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन के सापेक्ष औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0–20.56 लाख (रू0 बीस लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, व्यय करने हेतु, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

–02–

(4) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(7) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047/XIV-219/2006, दिनांक–30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(8) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules , 2008 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

(9) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(10) स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

(11) कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण इकाई का होगा तथा समय–समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य का अनुश्रवण कर शासन को आख्या उपलब्ध करायी जायेगी।

**(12) निर्माण इकाई द्वारा द्वितीय चरण के निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले आगणन में बाउन्ड्री वाल के निर्माण हेतु प्राविधान नहीं किया जायेगा।**

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय, वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 4408–खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय 01–खाद्य, –आयोजनागत–800 अन्य व्यय 04–खाद्यायुक्त कार्यालय भवन का निर्माण–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–103पी0/XXVII(5)/2014-15, दिनांक–21.01.2015 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(चन्द्रेश कुमार)
अपर सचिव।

संख्या–1894/XIX-1/15–87/2007 तद्दिनांकित

**प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–05/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आन सिंह बोरा)
अनु सचिव।